

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान  
सब पढ़ें सब बढ़ें

## राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/आरटीई/2011/496  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16.1.12

समस्त कलेक्टर  
मध्यप्रदेश

विषय:- लोक कल्याण शिविरों में 'शिक्षा संवाद' आयोजित किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- चेयरपर्सन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली का अर्धशासकीय पत्र क. CP/NCPCR/2011 दिनांक 4.11.2011 ।

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क. एफ.11-4/2006/एक/9 भोपाल दिनांक 8.09.2006 के द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि जिले के प्रत्येक विकासखण्ड में माह में एक बार निश्चित दिन लोक कल्याण शिविर का आयोजन किया जाए। शिविर में जनता की शिकायतों के निराकरण के साथ-साथ शासन की योजनाओं, जिसमें शिक्षा का प्रसार भी शामिल है के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश है।

जैसा कि आपको विदित है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 दिनांक 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील है। संदर्भित पत्र में यह लेख है कि अधिनियम से जुड़ी हुई समस्याओं एवं निराकरण के संबंध में "शिक्षा संवाद" आयोजित किये जाए।


कृपया विकासखण्ड स्तर पर आयोजित होने वाले लोक कल्याण शिविरों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रकाश में "शिक्षा संवाद" आयोजित किये जाए।

(अशोक बर्णवाल)  
आयुक्त  
राज्य शिक्षा केन्द्र एवं  
पदेन सचिव म.प्र.  
शासन स्कूल शिक्षा

पृ.क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2011 / 497  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 16.1.12

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा
2. श्री लव वर्मा सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग 5वा तल ,चंद्र लोक बिल्डिंग जनपथ नई दिल्ली - 110001 की ओर आयोग के संदर्भित पत्र के परिपालन में सूचनार्थ ।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र. ।
4. समस्त जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र, म.प्र.,की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



आयुक्त  
राज्य शिक्षा केन्द्र एवं  
पदेन सचिव म.प्र.  
शासन स्कूल शिक्षा